कार्यालय मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०
छठवाँ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14–अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या : 762 /अ–1/विविध/2010 दिनांक : 12/08/10

विषय : अवर अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिक/जानपद) की सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति हेतु वांछित वार्षिक गोपनीय चरित्र पंजिकायें/सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

शीर्ष प्राथमिकता/ अति महत्वपूर्ण

1. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल, वि०वि०नि०लि०, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को कानपुर।
2. निदेशक (पारेषण)/मुख्य अभियन्ता (आपरेशन), उ०प्र० पा०ट्रा०का०लि०।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 601/अ–1/विविध/2010 दिनांक 30.06.2010 के तारतम्य में प्रेषित इस कार्यालय के पत्र संख्या 685–अ–1/विविध/2010 दिनांक 22.07.2010 द्वारा अवर अभियन्ताओं की वांछित गोपनीय चरित्र पंजिका/सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्रों की सूची भेजते हुए एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, का अवलोकन करें।

इस संबंध में जैसा कि आपको पहले भी अनुरोध किया गया था कि इस कार्यालय में चयन वर्ष 2010–11 में अवर अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिक/जानपद) से सहायक अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिक/जानपद) के पद पर पदोन्नति/स्क्रीनिंग को कार्यवाही की जा रही है। अभिलेखों के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि काफी संख्या में अवर अभियन्ताओं की वार्षिक गोपनीय चरित्र पंजिकाये क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी है। जिसके फलस्वरूप अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति के प्रकरण पर विचार किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है तथा इस प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है।

अतः ऐसे सभी अवर अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिक/जानपद) सूची संलग्न जिनके नामों पर सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति/स्क्रीनिंग हेतु विचार किया जाना है में अधिकतर अवर अभियन्ताओं की वार्षिक गोपनीय चरित्र पंजिकायें/स0नि0प्र0 अभी तक उपलब्ध नहीं है, उनकी वांछित वार्षिक गोपनीय चरित्र पंजिकायें/स0नि0प्र0 प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अलग–अलग विलम्बतः 20.08.2010 तक इस कार्यालय को प्रत्येक दशा में उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश देने का कष्ट करें। यह सूची www.uppcl.org पर भी उपलब्ध है।

कृपया उपरोक्त के संबंध में त्वरित कार्यवाही करायें अन्यथा यदि किसी अवर अभियन्ता को सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति गोपनीय चरित्र पंजिका/स0नि0प्र0 के अभाव में नहीं हो पाती है तथा अवर अभियन्ता कोई न्यायिक वाद खड़ा करता है तो इसका पूर्ण उत्तर दायित्व व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित अधिकारी का होगा, क्योंकि गोपनीय चरित्र पंजिकायें पूर्ण कराने का दायित्व सम्बन्धित अधिकारियों का ही है।

संलग्नक : यथा उपरोक्त।

भवदीय,

(डी0सी0 जैन)
मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत)